न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुंतला आरएएस

मु0नं0 - 21/2021 (2021/35)

कुलदीप वल्द जयसिंह जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमित्रा पुत्री जयसिंह पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी बिराण हाल जगाण तहसील व जिला हिसार।
3. अंजू पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी बिराण तहसील हाल जगाण तहसील व जिला हिसार
4. पूजा पुत्री लीलाधर माता का नाम सरोज पुत्री जयसिंह जाति जाट निवासी बिराण हाल जगाण तहसील व जिला हिसार।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र पचार : वादी
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : प्रतिवादी सं0 1 ता 4
निर्णय दिनांक : 10/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नेठराना के चक 1 ए एम एस पटवार हल्का बिराण भू.अभि. क्षैत्र महराना के खाता सं. 16/15 के मु.न. 18 के किला नं. 21 व 22 एवं मु.न. 19 के किला नं. 18 ता 20, 22 ता 25 एवं मु.न. 24 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 15 एवं मु.नं. 25 के किला नं. 1 व 2 की कुल किता 20 की 5.060 है. जिसमें नहरी 4.9340 है. गै.मु. रास्ता 0.0260 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.1000 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 3.121 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं इसी प्रकार चक नं. 2 ए एम एस के खाता सं.34/30 के मु.नं. 27 के किला नं. 7, 13, 14, 18 ता 20, 23 कुल किता 7 की 1.7710 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को अपने पिता कनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है जो महज कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की दादालाई सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 का प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। उपर वर्णित भूमि को वादी कुलदीप व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह दोनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर हिस्सा काश्त करते आ रहे है।

वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक खातेदारी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम से दर्ज है उसमें प्रतिवादी सं0 02 व 03 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 के पक्ष में तर्क कर दिया एवं प्रतिवादीया सं. 04 की माता सरोज पुत्री जयंसिह ने पूर्व में अपने जीवन काल में ही अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर दिया। जिस पर कुल वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी में वादी कुलदीप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी 1 ए एम एस प्रदर्श 01 व चक 2 ए एम एस प्रदर्श 02, खतौनी जमाबंदी चक 2 ए एम एस प्रदर्श 03 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को अपने पिता कनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है वाद भूमि कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई जबकि वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की दादालाई सम्पति है जिसमें वादी का अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। दादालाई सावित करने हेतु जमावन्दीयां पेश की। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 1 ए एम एस व 2 ए एम एस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह को अपने पिता कनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की दादालाई सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण 02 ता 04 का अपने पिता प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। दादालाई सावित करने हेतु जमावन्दी पेश की गई जिससे वाद कृषि भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि होना सावित है तथा सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श में ज्यसिंह के सदस्यों में पत्नि मेवावती, पुत्र कुलदीप व पुत्रिया सुमित्र, अंजू सरोज(फौत) जिसकी एकमात्र संतान पुत्री पूजा होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 ए एम एस पटवार हल्का बिराण भूअभि. क्षैत्र महराना के खाता सं. 16/15 के मु.न. 18 के किला नं. 21 व 22 एवं मु.न. 19 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

किला नं. 18 ता 20, 22 ता 25 एवं मु.न. 24 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 15 एवं मु. नं. 25 के किला नं. 1 व 2 की कुल किता 20 की 5.060 है. जिसमें नहरी 4.9340 है. गै.मु. रास्ता 0.0260 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.1000 हैक्टर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 3.121 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं इसी प्रकार चक नं. 2 ए एम एस के खाता सं.34/30 के मु.नं. 27 के किला नं. 7, 13, 14, 18 ता 20, 23 कुल किता 7 की 1.7710 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जयसिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दोनों खातों में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह के बजाय वादी कुलदीप व प्रतिवादी सं0 1 जयसिंह दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...10/9/21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़